



जनजातीय कार्य मंत्रालय

अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए आश्रम स्कूल

Posted On: 09 AUG 2017 6:27PM by PIB Delhi

जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने देशभर में 1205 आश्रम स्कूलों के निर्माण के लिए कोष उपलब्ध कराया है। इन स्कूलों में लगभग 1,15,500 सीटों की व्यवस्था की जाएगी। इन स्कूलों के अतिरिक्त विभिन्न राज्य सरकारों ने भी जनजातीय लड़के और लड़कियों के लिए 3272 आश्रम स्कूल खोले हैं।

2017-18 के दौरान जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल योजना के तहत 10.00 करोड़ रुपये की रकम आवंटित की गई है। जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के जरिये आश्रम स्कूलों के संबंध में राज्यों को कोष दिया गया है। इसके साथ ही राज्यों के प्रस्तावों के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान भी दिया गया है।

यह सूचना आज राज्य सभा में जनजातीय मामलों के राज्यमंत्री श्री जसवंतसिंह भाभोर ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

वीके/एकेपी/सीएस-3324

(Release ID: 1499028) Visitor Counter : 18

